

हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी

(परीक्षार्थी का नाम/पिता/माता का नाम/एनरोलमेंट/आधार संशोधन करने हेतु आवेदन पत्र)
(आवेदन पत्र भरने से पूर्व कृपया पिछली ओर अंकित नियम अवश्य पढ़ें)
(आवेदन पत्र परीक्षार्थी द्वारा स्वयं अपने हाथ से भरा जाये एवं हस्ताक्षर किये जायें)

प्रमाण-पत्र अनुसार विवरण		परीक्षार्थी जो संशोधन चाहता है		
1.	क) नाम	क)	
	ख) पिता का नाम	ख)	
	ग) माता का नाम	ग)	
	घ) एनरोलमेंट	घ)	
	ड) आधार न0	घ)	
2.	परीक्षा का विवरण—			
	मिडल अनुक्रमांक	सत्र	वर्ष	
	मैट्रिक/सैकेण्डरी अनुक्रमांक	सत्र	वर्ष	
	सीनियर सैकेण्डरी अनुक्रमांक	सत्र	वर्ष	
	वोकेशनल अनुक्रमांक	सत्र	वर्ष	
	डी0एड0/डी0एल0एड0 अनुक्रमांक	सत्र	वर्ष	
3.	राशिडिमांड ड्राफ्ट/बोर्ड रसीद न.	तिथि		
4.	संस्था का नाम जिसके माध्यम से मिडल/मैट्रिक/ सैकेण्डरी/सीनियर सैकेण्डरी परीक्षा में प्रविष्ट हुआ/हुई।			
5.	उन सभी संस्थाओं के नाम जिनमें मिडल/मैट्रिक/सैकेण्डरी/सीनियर सैकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण करने तक अध्ययन किया।			
	संस्था का नाम	कक्षा जिसमें प्रवेश लिया	प्रवेश लेने की तिथि अनुसार जन्म तिथि	विद्यालय रिकार्ड के अनुसार/परीक्षार्थी का नाम माता/पिता का नाम (जिसके लिए आवेदन किया है)
क)
ख)
ग)
घ)
6.	त्रुटि का कारण (पूर्ण विवरण सहित)			
7.	संशोधन के आधार के सम्बन्ध में दिए गए दस्तावेज			
	1.....	3.....		
	2.....	4.....		
8.	विशेष कथन यदि कोई हो			

दिनांक

आवेदक के हस्ताक्षर
प्रार्थी का पूरा पतापिन कोड.....
मो.

सत्यापन

विद्यालय के दाखिला एवं खारिज रजिस्टर अनुसार उक्त परीक्षार्थी का नाम
माता का नाम एवं पिता का नाम है।

मुख्याध्यापक/प्रधानाचार्य का नाम
हस्ताक्षर
मोबाईल न0:
(मोहर)

नाम/माता/पिता का नाम में संशोधन सम्बन्धी नियम

1. जहां नाम/माता/पिता के नाम की गलती संस्था की है ऐसे नियमित परीक्षार्थी आवेदन-पत्र पूर्ण रूप से भरकर परीक्षा उत्तीर्ण किये गये विद्यालय के मुखिया के माध्यम से संशोधन की सिफारिश सहित, सचिव हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी को भेजें।
2. जिन परीक्षार्थियों ने बतौर स्वयंपाठी परीक्षार्थी इस बोर्ड से परीक्षा उत्तीर्ण की है वे अपने आवेदन-पत्र सबसे अंत में अध्ययन किये गये विद्यालय के मुखिया के माध्यम से भेजेंगे।
3. जिन स्वयंपाठी परीक्षार्थियों ने किसी भी मान्यता प्राप्त/राजकीय विद्यालय में प्रवेश नहीं लिया है, वे अपने आवेदन-पत्र प्रथम श्रेणी मैजिस्ट्रेट द्वारा सत्यापित करवाकर प्रस्तुत करेंगे।
4. आवेदक को पत्येक परीक्षा के लिये संशोधन हेतु 300/- रुपये प्रति संशोधन शुल्क के अतिरिक्त 500/- रुपये अनुलिपि प्रमाण-पत्र शुल्क भी देना होगा। अलग से अनुलिपि प्रमाण-पत्र हेतु आवेदन की आवश्यकता नहीं होगी। अधिकतम शुद्धि शुल्क प्रति प्रमाण पत्र 1100/- रुपये होगा। नाम/माता/पिता के नाम में संशोधन हेतु सम्बन्धित विद्यालय का मूल रिकार्ड अर्थात् दाखिला एवं खारिज रजिस्टर एवं मूल प्रवेश-पत्र या पूर्व उत्तीर्ण की गई बोर्ड परीक्षा का मूल प्रमाण-पत्र उपलब्ध करवाना होगा जो कि सामान्यतः विद्यालय/परीक्षार्थी अपनी जिम्मेवारी पर उपलब्ध करवायेंगे।
5. आवेदक द्वारा प्रस्तुत किये गये अन्य राज्यों के मान्यता प्राप्त शिक्षा बोर्ड के मूल प्रमाण-पत्र या सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी/समकक्ष अधिकारी से प्रतिहस्ताक्षरित विद्यालय त्याग प्रमाण-पत्र भी मान्य होंगे।
6. अन्य देशों के मूल प्रमाण-पत्र जिन्हे भारत सरकार एवं विभिन्न शिक्षा बोर्ड/विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता दी गई हो, के आधार पर संशोधन किया जाएगा।
7. यदि किसी कारणवश आवेदक अपना असंशोधित प्रमाण-पत्र उपलब्ध नहीं करवा सकता है तो कारण दर्शाते हुए प्रथम श्रेणी मैजिस्ट्रेट द्वारा सत्यापित शपथ-पत्र देना होगा कि उसका मूल प्रमाण-पत्र गम/नष्ट हो गया है तथा बाद में मिल जाने पर वह उसे बोर्ड कार्यालय में वापिस जमा करवा देगा और उसका दुरुपयोग नहीं करेगा।
8. विद्यालय के रिकार्ड में परीक्षार्थी की माता का नाम उपलब्ध न होने की दशा में (जैसा कि पुराने स्कूल रिकार्ड में माता का नाम नहीं है। माता का नाम संशोधन के आधार के रूप में जन्म-मृत्यु, रजिस्टर/नगरपालिका/छावनी बोर्ड आदि द्वारा जारी किया जन्म प्रमाण-पत्र, राशन कार्ड, मतदाता पहचान-पत्र, सशस्त्र सेनाओं के कर्मियों के बच्चों की स्थिति में सेना मुख्यालयों/रिकार्ड कार्यालयों से जारी विभिन्न दस्तावेजों को संशोधन का आधार माना जायेगा तथा साथ ही परीक्षार्थी/अभिभावक को इस आशय का प्रथम श्रेणी मैजिस्ट्रेट द्वारा सत्यापित शपथ-पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।
9. यदि कोई प्रार्थी किसी त्रुटि का उत्तर/हल न करवाने या सम्बन्धित विद्यालय का रिकार्ड प्रस्तुत करने में एक वर्ष तक असफल रहता है तो उसका आवेदन पत्र फाईल कर दिया जायेगा। एक वर्ष बाद केस रि-ओपन करवाने हेतु शुल्क व आवेदन-पत्र पुनः जमा करवाना होगा।
10. वर्ष 2008 से पूर्व के प्रमाण-पत्रों में नाम/पिता का नाम/माता का नाम में शुद्धि के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं है, कभी भी करवाई जा सकती है, बशर्ते विद्यालय के मूल रिकार्ड के साथ किसी भी प्रकार की छेड़कानी न की गई हो।
11. उपरोक्त के अतिरिक्त यदि किसी विशेष प्रकृति का मामला होगा तो उस पर बोर्ड के सचिव द्वारा प्रत्येक मामले में गुण-दोष के आधार पर संशोधन बारे विचार किया जायेगा।

नोट :

- (क) बोर्ड कार्यालय द्वारा उक्त नियम/प्रक्रिया अनुसार आवश्यक कार्यवाही उपरांत वांछित शुद्धि करते हुए पुराना प्रमाण-पत्र रद्द करके आवेदक को इसके बदले संशोधित अनुलिपि प्रमाण-पत्र जारी किया जायेगा।
- (ख) बोर्ड कार्यालय की गलती होने पर प्रमाण-पत्र जारी होने की तिथि से तीन मास के अन्दर-अन्दर सम्बन्धित परीक्षा शाखाओं द्वारा निःशुल्क संशोधन किया जाता है। तीन मास के बाद से तीन वर्ष की अवधि तक सम्बन्धित परीक्षा शाखाओं द्वारा शुल्क सहित संशोधन किया जायेगा तथा तीन वर्ष की अवधि के बाद वांछित शुल्क सहित उक्त नियम/प्रक्रिया लागू होगी।
- (ग) किसी भी परिस्थिति में संशोधन शुल्क वापसी का कोई प्रावधान नहीं है।